दफ्तरी एवं बण्डल लिफ्टर संवर्ग में प्रोन्नति के संबंध में चयन समिति (Selection Committee) की हुयी बैठक की कार्यवृत्त ।

चयन समिति, जनपद न्यायालय सुलतानपुर की बैठक आज मेरे विश्राम कक्ष में आहूत की गयी जिसमें श्रीमती संध्या चौधरी, अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–01, सुलतानपुर व श्री विभांशु सुधीर, सिविल जज (प्रवर खण्ड) न्यायालय संख्या–15, सुलतानपुर उपस्थित आये। चयन समिति द्वारा प्रशासनिक समिति, जनपद न्यायालय सुलतानपुर की आख्या दिनांकित **22.10.2026** का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत आख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि दफ्तरी एवं बण्डल लिफ्टर संवर्ग में प्रोन्नति हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में से कुल 30 ज्येष्ठ कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। प्रशासनिक समिति द्वारा दफ्तरी एवं बण्डल लिफ्टर संवर्ग में प्रोन्नति के लिए योग्यता का निर्धारण लिखित एवं प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कराये जाने हेतु एक उपसमिति गठिन किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उ०प्र० राज्य जनपद न्यायालय सेवा नियमावली 2013 की अनुसूची–'ख' के क्रम सं० '12' के अनुसार प्रोन्नति Seniority cum merit के आधार किया जाना है। Seniority cum merit के आधार पर दफ्तरी एवं बण्डल लिफ्टर संवर्ग में प्रोन्नति हेतु लिखित परीक्षा लिये जाने का निर्णय चयन समिति द्वारा लिया गया है।

चयन समिति के सदस्यों द्वारा उक्त लिखित परीक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें न्यूनतम 17 अंक (कुल पूर्णांक का 33 प्रतिशत) या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यतः वरिष्ठता के आधार पर जिनकी पांच वर्ष की मौलिक व नियमित सेवा सन्तोषजनक पूर्ण हो चुकी हो, को पात्र माना जायेगा। परीक्षा की तिथि दिनांक 04.11.2026 सायं 04:30 बजे निर्धारित की जाती है। उक्त परीक्षा जनपद न्यायालय, सुलतानपुर के परिसर में आयोजित की जायेगी।

परीक्षा का प्रारूप निम्न है–

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के देवनागरी लिपि में हिंदी पढने एवं लिखने की योग्यता की परीक्षा – 50 अंक
2. दफ्तरी के पद पर पदोन्नति हेतु बुक बाइन्डिंग की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रयोगात्मक परीक्षा – 50 अंक

चयन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि लिखित परीक्षा के सफल आयोजन हेतु न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण की एक उपसमिति गठित की जाये, जिसकी देख–रेख में यह परीक्षा संपन्न करायी जाये।

अतः निम्नलिखित न्यायिक अधिकारीगण की उपसमिति गठित की जाती है–

1. **श्री स्वतंत्र प्रकाश,** — अध्यक्ष
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
 एफ0टी0सी0–द्वितीय, सुलतानपुर
2. **श्री मयुरेश श्रीवास्तव,** — सदस्य
 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 न्यायालय संख्या–21, सुलतानपुर

3. **सुश्री प्रियंका दिवाकर,** सदस्य
सिविल जज(अ0ख0)(एफ0टी0सी0)/
(घरेलू हिंसा), सुलतानपुर

उक्त उपसमिति को आदेशित किया जाता है कि वह नियत तिथि को आयोजित लिखित एव प्रयोगात्मक परीक्षा का संचालन एवं तत्पश्चात् अभ्यर्थीगण की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर अपनी आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

केन्द्रीय नाजिर सूची में उल्लिखित समस्त 30 कर्मचारियों को परीक्षा की तिथि एवं समय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायाधीश के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु केन्द्रीय नाजिर को प्रेषित की जाये तथा सिस्टम ऑफिसर को एक प्रति इस जजशिप के वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाए।

सभी संबंधित सूचित हों।

(विभांशु सुधीर) 30/10/26
सिविल जज, प्रवर खण्ड,
न्यायालय संख्या–15, सुलतानपुर
सदस्य, चयन समिति।

(संध्या चौधरी) 30/10/26
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, सुलतानपुर
सदस्य, चयन समिति।

(सुनील कुमार–IV) Sunil Kumar 30/10/26
जनपद न्यायाधीश
सुलतानपुर
अध्यक्ष, चयन समिति।